

**Ind-Swift Laboratories Limited***Registered Office*SCO 850, Shivalik Enclave,
NAC Manimajra, Sector 13,
Chandigarh – 160101 INDIA

✉ info@indswiftlabs.com

☎ 0172-2730503, 2730920, 5061851-53

CIN No. L24232CH1995PLC015553

Ref.: ISLL:CH:2026**Date: 3rd August, 2026****BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400001****National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/2, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai 400051****ISIN: INE915B01019
BSE Scrip Code: 532305****NSE Symbol: INDSWFTLAB****Sub: Newspaper clippings – Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares and Dematerialisation**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to provisions of Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the copies of advertisement published in the newspapers viz. Financial Express and Jansatta on Sunday, 2nd August, 2026 with respect to opening of a Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities in compliance with the requirement of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026.

You are requested to take the same on record.

With Regards,
For **IND-SWIFT LABORATORIES LTD.****PARDEEP VERMA
VP-CORPORATE AFFAIRS &
COMPANY SECRETARY****Manufacturing Facilities:**

Unit I: NH-21, Village Jawaharpur, Tehsil Derabassi, District SAS Nagar (Mohali), Punjab – 140507

Unit II: Phase 1, SIDCO Industrial Growth Centre, Samba, Jammu & Kashmir - 184121

☎ 0172-2730503, 2730920, 5061851-53 ✉ info@indswiftlabs.com 🌐 www.indswiftgroup.com

Follow us:     

For verifying authenticity of this letter, please reach us by sending copy of same on hr.ho@indswiftlabs.com



पंजाब में तीन हफ्ते से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण लुधियाना में सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर। -गुरमीत सिंह

पंजाब : सीमा पार से
संचालित मादक पदार्थ
तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

चंडीगढ़, 1 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित मादक पदार्थ तस्करी और संगठित अपराध के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा 20 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गोवर्धन यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार के तस्करों से जुड़े विदेश में बैठे एक आका के निर्देश पर काम कर रहा था। आरोपी की भूमिका सीमा क्षेत्र में हेरोइन की खेप प्राप्त करने और उसे पंजाब के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने की थी। इस मामले में अमृतसर स्थित राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ थाने में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अब नहीं कह सकेंगे 'झोलाछाप डाक्टर'

चंडीगढ़, 1 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अब 'झोलाछाप' या 'फर्जी डाक्टर' आदि जैसे नामों से संबोधित नहीं किया जाएगा। यह पेशा उनकी प्रशिक्षा से जुड़ा और लाखों लोगों की आयुर्वेद के प्रति विश्वास और भावनाओं से संबंधित है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी करके इस तरह के अपमानित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। दूसरी तरफ हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं। दूसरी तरफ युवाओं में आयुर्वेद से संबंधित पाठ्यक्रम तथा उच्च शिक्षा हासिल करने को लेकर रुझान बढ़ रहा है। भारत सरकार की ओर से जयपुर व पंचकुला में संवालिता राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थानों में विदेशी विद्यार्थी भी आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ने लगे हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति, संस्था, मीडिया संगठन आदि की ओर से इस तरह के शब्दों का प्रयोग नियमों के विपरीत तथा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

मावां धीआं सत्कार योजना
पंजाब की 35.5 लाख महिलाओं
के खाते में भेजी वित्तीय सहायता
 चंडीगढ़, 1 अगस्त (ब्यूरो)। तथा अनुसूचित जाति वर्ग की

चंडीगढ़, 1 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत राय
मान ने शनिवार को
'मावां धीआं सत्कार
योजना' के तहत 35.5
लाख महिलाओं के
बैंक खातों में मासिक
वित्तीय सहायता की
राशि हस्तांतरित की।



इसके साथ ही योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 68.5 लाख हो गई है। पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला को जुलाई, अगस्त और सितंबर की तीन माह की किस्त के रूप में 3,000 रुपए

ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ
ਅਧਿਆਨੀ

हिमाचल की हिस्सेदारी के मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने

पंजाब को बीबीएमबी परियोजनाओं पर केंद्र का प्रस्ताव मानने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीवीएमबी) परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर करीब छह दशक से चल रहे विवाद के समाधान की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक नए नकदहीन निपटान का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को उसके लंबित बिजली बकाया का भुगतान नकद के बजाय ऊर्जा के रूप में किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकारों केन्द्र के प्रस्ताव से सिद्धांततः सहमत हैं, जबकि पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है।

इस पर अदालत ने पंजाब को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और अपना स्पष्ट रुख दो सप्ताह के भीतर बताना होगा। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के बाद बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को 7.19 फीसद बिजली हिस्सा मिलना शुरू हो गया था। लेकिन 1966 से लेकर 2011 तक की अवधि का बकाया अभी तक नहीं मिला है। यह



बकया करीब 1,306.6 करोड़ यूनिट बिजली के बराबर है। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि पंजाब और हरियाणा यह बकया राशि नकद देकर के बजाय बिजली के रूप में चुकाए। प्रस्ताव के तहत करीब 1,306.6 करोड़ यूनिट बिजली में से 1,200 करोड़ यूनिट बिजली से अधिक बिजली हिमाचल को देने की व्यवस्था की जा सकती है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर राज्यों के बीच विवाद बना रहा। समाधान नहीं निकलने पर हिमाचल प्रदेश ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में मूल बाद दायर किया था। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम

हरियाणा के 150 सरकारी स्कूलों को मिलेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं : नायब सैनी

चंडीगढ़, 1 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सार्वजनिक शिक्षा ढाँचों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 150 नए सरकारी स्कूलों के भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी। चंडीगढ़ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सैनी ने और प्र स्कूलों के डिजाइन तैयार करने के लिए अग्रणी राज्यों और प्रतिष्ठित संस्थानों के श्रेष्ठ माडल का अध्ययन किया जाएगा तथा विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी।

नैटक में संस्कृत माडल स्कूल, मुख्यमंत्री अली इंग्लिश एड्स
एकसीलेस स्कूल तथा पीपल-श्री स्कूल समेत 719 माडल स्कूलों में
के विकास और विभिन्न शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 719 स्कूलों में
अतिरिक्त कक्षाएं, अलग शौचालय, चारदीवारी, खेल मैदान,
विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, डिजिटल प्रयोगशालाएं, स्मार्ट
कक्षाएं, पुस्तकालय, फर्नीचर, टेबलेट और आधुनिक शिक्षण



सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने वित्त और शिक्षा विभाग को इन परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने देने तथा निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।

सैनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय और आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं विस्तार की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण उपलब्ध करना और इन संस्थानों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रस्तावित 150 नए स्कूल और 719 माडल स्कूल राज्य के अन्य स्कूलों के लिए मानक स्थापित करेंगे।

चंडीगढ़ में मकान मालकिन पर वकील ने चलाई गोली, गिरफ्तार

चंडीगढ़, 1 अगस्त (ब्यूरो)।

चंडीगढ़ के सेक्टर-42सी में शनिवार को मकान खाली करके पहुंची 57 वर्षीय मकान मालिकिनी जेनपियर कोर पुराने मकान किरायेदार, 67 वर्षीय अश्विक्ता जेनपियर चट्टन ने कथित रूप से गोली चला दी। गोली उनके चेहरे पर लगी, जिससे कई गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें जीसीआईएमईआर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश करने की कार्रवाई के दौरान चड्ढा ने अपनी लाइसेंसी दो नली बंदूक से गोली चला दी। दूसरी गोली चलाने का प्रयास करते समय पुलिस ने उन्हें काबू कर हथियार जब्त कर लिया। वहीं, चड्ढा के परिजनों ने पुलिस के दावों का खंडन करते हुए वैध स्थगन आदेश होने का दावा किया है।



Ind-Swift LABORATORIES Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra,
Chandigarh - 160 101 | Ph: +0172-2730503, 2730920

Website: www.indswiftgroup.com | CIN L24232CH1995PLC015555

SPECIAL WINDOW FOR RELODGE MENT OF PHYSICAL SHARES TRANSFER REQUESTS

This is to inform share holders that as per SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PDDI/3750 dated January 30, 2026, a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds of physical securities. In order to facilitate the investors to get rightful access to their securities, the Board has decided to open another special window for transfer and dematerialisation ('demat') of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

This special window shall be open for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at rtat@alankit.com or at their office at Alankit House, 4E/2 Jhandewalan Extension New Delhi - 110 055, Phone: 011-42541234 or the Company at investor@indswiftlabs.com for further assistance, within stipulated time.

While lodging the request for transfer with the RTA, the shareholder must have a demat account and provide Client Master List (CML) along with the transfer documents and share certificates. Transferred shares will only be issued in demat form, once all the documents are found in order by the RTA.

For Ind-Swift Laboratories Limited
Sd/-
PARDEEP VERMA
VP-CORP. AFFAIRS & CS

Place: Chandigarh

Date: 01.08.2026

 केनरा बैंक (CORPORATE BANK OF INDIA) Canara Bank (CORPORATE BANK OF INDIA) Syndicate	केनरा बैंक एआरएम शाखा, करनाल
कच्चा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिए)	
चूंकि केनरा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अपोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संघर्षियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति व्याज प्रवर्धन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत और प्रतिभूति व्याज (सर्वतन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ संघर्षित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सूचना की प्रामि से 60 दिनों के अन्दर सूचना में वर्णित राशि रु. 38,03,357/- (केवल अठ्ठीस लाख तीन हजार तीन सौ सत्तावन रुपये और सत्तावन पैसे) व्याज सहित, मुकुन्दमे के दौरान लगने वाले खर्च, आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि की आधारायी करने के लिए आमांजित करते हुए कर्जदार/गारंटर/हेनकर्ता श्रीमती परवीन गनी पत्नी श्री मदन लाल और श्री अजय खर्मा पुत्र मदन लाल को 12.03.2025 को मांग सूचना जारी की थी।	कर्जदार/गारंटर/हेनकर्ता द्वारा शाखा का भुगतान न कर पाने के कारण, कर्जदार/गारंटर/हेनकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि कुछ विकास अधिकारी, सिरसा ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट, सिरसा द्वारा पारित आदेश के अनुसार, नीचे वर्णित संघर्षित का भीतिक कच्चा दिनांक 08.07.2025 के क्रमांक 435-441एमए के तहत माननीय जिला मजिस्ट्रेट को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसार दिनांक 27 जुलाई 2026 को केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी अपोहस्ताक्षरी को सौंप दिया गया है।
विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर/हेनकर्ता व सामान्य रूप से जनता को इस संघर्षित के साथ कोई लेन-देन न करने के लिए एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है तथा संघर्षित के साथ कोई लेन-देन रु. 38,03,357/- (केवल अठ्ठीस लाख तीन हजार तीन सौ सत्तावन रुपये और सत्तावन पैसे) व्याज सहित, मुकुन्दमे के दौरान लगने वाले खर्च, आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के लिए केनरा बैंक के प्रभार अधीन होगा।	कर्जदार/गारंटर/हेनकर्ता का ध्यान प्रतिभूति परिसंघर्षियों को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की और आमांजित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण आवासीय मकान जिसका नम्बर [161.33 वर्ग गज] 0 कनाल 5 मरला 3 सरसई है, अर्थात 22'X66' जो 31 कनाल 18 मरला किट्टा 87 का 8/957 हिस्सा है, जो खेडट संख्या 1107, खतौनी संख्या 1261 से 1325 गरी संख्या 7, ऑर्गन गगर, खज्जखड़ा, सिरसा 120555 में स्थित विक्रय विलेख संख्या 7954 के आधार पर, जो 18.01.2021 को उप-पंजीयक सिरसा कार्यालय से उत्पर्वित संख्या 32817 जगम्बदी 2017-18 के साथ श्रीमती परवीन गनी पत्नी श्री मदन लाल के नाम पर पंजीकृत है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री सुभाष सोनी का मकान, पश्चिम: सरसा, उत्तर: श्री सुभाष लाल का मकान, दक्षिण: श्री वेद प्रकाश चावला का मकान।	दिनांक: 27.07.2026
स्थान: सिरसा	प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

हरियाणा भाजपा की कार्यकारिणी का गठन

यमुनानगर की रिचा पाहवा होंगी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष

चंडीगढ़, 1 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने अपनी नई टीम का एलान कर दिया है। चर्च का कारकिर्गी में कई पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। वहीं नए चेहरों को भी संगठन के नए में स्थान दिया गया है। इन नियुक्तियों से पहले अर्चना गुप्ता ने हालही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात थी। शनिवार की शाम जारी सूची में संसद के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी एलान कर दिया गया है।

भाजपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी के महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुए पद को भर दिया गया है। अब यमुनानगर की रिचा पाहवा को प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार सोनीपत के अक्षित दहिया को प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटौली अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की ओर से जारी सूची के अनुसार गुग्गुगम के महेश चौहान को किसान मोर्चा, दादरी के सुनील सेन अभियंता को ओबीसी मोर्चा, रोहतक के अजय खुडिया को एससी मोर्चा तथा कुरुक्षेत्र के अमनीत वडैच को प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके साथ भिवानी के मुकेश गौड़ को प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी तथा गुरुग्राम के मनीष यादव को प्रदेश प्रकोष्ठ सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने रेवाड़ी के

बिश्नोई, पलवल के विधायक दीपक मंगला, कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा, जींद के जवाहर सैनी, कैथल के अशोक गुर्जर तथा फतेहाबाद से रविंद्र बलियाला समेत आठ नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

फरीदाबाद के गोपाल शर्मा, गुरुग्राम जिला के सत्यप्रकाश जरावता तथा फतेहाबाद के वेद पुण्या को प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। यमुनानगर के मदन चौहान, गुरुग्राम के हरविंद कोहली, जौंद के अम्बरपाल राणा, रोहतक की प्रतिभा सुमन, करनाल की मीना चौहान, रोहतक के नागेंद्र शर्मा, सोनीपत के विकास दहिया, कुरुक्षेत्र के रवि बतान, अंबाला की गुरुप्रीत कौर को प्रदेश मंत्री के पद पर तैनाती दी गई है।

रोहतक के अजय बंसल अब हरियाणा भाजपा के कोषाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा फरीदाबाद के नरेंद्र गुप्ता प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, झज्जर के हरिकाश आदवा प्रदेश कार्यवालय मंत्री, यमुनानगर के रामेश्वर चौहान प्रदेश सह कार्यवालय मंत्री होंगे। अंबाला के संजय शर्मा को प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अलावा सोनीपत के भूपेश्वर दयाल को प्रदेश मीडिया संयोजक, यमुनानगर के आदित्य चावला को प्रदेश आइटो संयोजक, झज्जर के सोमबीर कटारिया को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।



इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
(एक भारतीय सार्वजनिक उपक्रम)

भविष्य पथ पर

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L65910DL1986G0I026363

यूजी क्लॉर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग,
प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: +91-011-24361480

ईमेल: investors@irfc.co.in; वेबसाइट: <https://irfc.co.in/>

वीसी/ओपीएम के माध्यम से

39वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सार्वजनिक सूचना

- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") की **39वीं वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम") **मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को अपराह्न 3:30 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") और अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया ("ओपीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट कार्य संहिता ("एम्सीसी") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना में उल्लिखित कार्यों का संचालन किया जाएगा। बैठक का अनुमानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन की सूचना में उल्लिखित कार्यों के संचालन के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओपीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओपीएम के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एजीएम के लिए कोरम की गणना करने के उद्देश्य से वीसी/ओपीएम के माध्यम से उपस्थिति की गिनती की जाएगी।
- एम्सीसी और सेबी परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में, वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में किए जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट करने वाला नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत है। जिन शेयरधारकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए कंपनी में पंजीकृत पते पर या डिपॉजिटरी से डाउनलोड किए गए डेटा के आधार पर, वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाता एक पत्र भेजा गया है, जिसमें वेब-लिनक, सीटीक पथ और क्यूआर कोड शामिल है। हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि उन शेयरधारकों को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करेंगे। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://irfc.co.in/investors/annual-reports> पर और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, वीसी/ओपीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी। एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।
- इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 39वीं एजीएम के संबंध में निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की हैं।

क्रम सं.	व्योरा	विवरण
1	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या आम बैठक के दौरान मतदान करने के लिए शेयरधारकों की प्रतिलिपि निर्धारित करने के लिए कॉट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 18 अगस्त, 2026
2	शेयरधारकों को कॉट-ऑफ तारीख अर्थात् मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को प्रस्तावित रेलसोलुशन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 22 अगस्त, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।

- सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यों पर अपना/अपने वोट डालने का अवसर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो भौतिक रूप में शेयर रखता है और कोई भी नै-व्यक्तिगत शेयरधारक जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कॉट-ऑफ तिथि को उसके पास शेयर हैं, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल पाए थे। ऊपर बताई गई तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मेंड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उन्हें बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम से पहले और उसके दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनका ईमेल पता कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट कर सकते हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स, विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश और वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के तरीकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध श्रेयधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएअर) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता नियमावली देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर वरिष्ठ प्रबंधक, सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 01 अगस्त, 2026



कृते इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-

विजय बाबुलाल शिरोडे

कंपनी सचिव

39वीं वार्षिक रिपोर्ट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

महत्वपूर्ण सूचना:

- डीमैटरीयल/खाता डोड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, और स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें, अपने ईमेल पते, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट, मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड को irfcinvestors@beetaltmail.com पर विवरण प्रदान करें।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अदत/वेदावा लाभांश, यदि कोई हो, का दावा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित में या investors@irfc.co.in पर या कंपनी के आर एंड टी को irfcinvestors@beetaltmail.com पर ईमेल करें। यदि कंपनी के अदत लाभांश खातों में पड़े लाभांश को सात (7) वर्षों की लगातार अवधि तक भुनाया नहीं जाता, तो उन्हें ऐसे वेदावा लाभांश के संबंध में शेयरों के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईसीपीएफ") में स्थानांतरित किया जा सकता है। अदत/वेदावा लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://irfc.co.in/investors/financial-information> पर उपलब्ध है।